निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 137 / 2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 11 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक :– 10 / 01 / 2025

अनवान

1. अम्बालाल पिता कजोडीमल जाति गुर्जर निवासी हदवा का वास तहसील देवगढ़ हाल सरंपच ग्राम पंचायत मदारिया पंचायत समिति देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मदारिया।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम बाघाखेड़ा पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी ग्राम पंचायत मदारिया की आबादी भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 182¢2 रकबा 11 बीघा हैं उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे ग्राम पंचायत मदारिया आबादी विस्तार हेतु दर्ज थी जिसको सेटलमेन्ट पश्चात वर्तमान नवीन जमाबन्दी में बिलानाम अंकित कर दिया हैं जो त्रुटीपूर्ण दर्ज है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत का स्वामित्व हैं तथा उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में ग्राम पंचायत मदारिया के नाम आबादी में दर्ज हैं जो ग्राम पंचायत मदारिया आबादी विस्तार हेतु दर्ज थी जिसके प्रकरण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070 2073 संलग्न हैं तथा उक्त पुराने जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम पंचायत का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं एंव उक्त भूमि आबादी प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे मे सेटलमेन्ट विभाग की

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

त्रुटी एंव राजस्व कर्मचारीयो ने त्रुटी करते हुए प्रार्थी ग्राम पंचायत मदारिया की उक्त वर्णित भूमि को के नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2076 में बिलानाम दर्ज कर लिया है जो त्रुटीपूर्ण दर्ज हैं जबकी प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के पुराने आराजी नम्बर 182द्दः2 रकबा 11 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी उसी अनुसार प्रार्थी ग्राम पंचायत मौके पर काबिज है एंव उक्त भूमि ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु उपयोग उपभोग में ली जा रही हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त वर्णित भूमि बिलानाम दर्ज कर ली हैं जबकि प्रार्थी पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त राजस्व रेकार्ड व नक्शे में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को सेटलमेन्ट की त्रुटी से बिलानाम दर्ज किया गया हैं वह गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी परन्तु अभी प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबन्दी निकलवाने गया तो जानकारी हुई की भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हैं जिस पर खसरा मिलान की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि भूमि बिलानाम दर्ज कर ली गई हैं तब प्रार्थी को राजस्व नक्शे में त्रुटी की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि ग्रामपंचायत की आबादी भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे में त्रुटी रह गई हैं और प्रार्थी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर ली हैं जो त्रुटी वश दर्ज है को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार अंकन एंव तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के वास्तविक एंव सभी दस्तावेज पूर्व जमाबन्दी नकल व राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटी वश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व जमाबन्दी रेकार्ड एंव नक्शा ट्रेस में अंकन करा दुरस्त किया जाना न्याय हित में

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी जब उक्त राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटी की शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहुंचे तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जो त्रुटी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एंव ट्रेस में की गई हैं उसे पुराने जमाबन्दी रेकार्ड एंव पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस व विक्रय पत्र अनुसार विशुद्ध करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में गलत अंकन होने की वजह से प्रार्थी भूमि को विकसित नही कर पा रहे हैं ग्राम पंचायत पूर्व राजस्व ट्रेस व पूर्व जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही मौके पर काबिज है। परन्तु नये नक्शे व जमाबन्दी में त्रुटी होने की वजह से उसे विशुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थी की आबादी भूमि जिसको त्रुटी वश बिलानाम दर्ज कर लिया गया हैं को को पुराने खसरा नम्बर 182҆2 रकबा 11 बीघा भूमि को पुरानी जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान राजस्व ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में अंकन को विशुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावें एंव सेटलमेन्ट पूर्व स्थिति कायम कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का मदारिया की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व ग्राम बाधाखेडा की गत जमाबन्दी संवत 2070 2073 के खाता सं० 89 में आराजी सं० 182/2 रकबा 11.00 बीघा किरम आबादी दर्ज रिकार्ड है, जिसका नवीन जमाबन्दी सवत 2076 खाता सं० 74 में आराजी स० 228 रकबा 2.38 हैक्टयर किरम

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

आबादी दर्ज रेकार्ड है मिलान पत्रक अनुसार आराजी सं० 182/2 का नया आराजी सं० 228 बना है। आराजी सं० 182/2 गत सेटलमेन्ट की लटठा प्रिंट पर पेन्सिली तरमीम किया हुआ है वर्तमान आराजी न 228 रकबा 2.38 नवीन नवहा शीट में भी वहीं पर अंकित होकर सही है प्रार्थी द्वारा वाद में वर्णन किया गया कि आराजी सं० 182/2 रकबा 11.00 बीघा भूमि सेटलमेन्ट उपरान्त नवीन राजस्व रेकार्ड व नो मे बिलानाम हो गयी उक्त तथ्य सही नहीं है गत एवं वर्तमान नक्शा एवं जमाबन्दी विवरण एक समान है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम बाघाखेड़ा पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी ग्राम पंचायत मदारिया की आबादी भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 182/2 रकबा 11 बीघा हैं उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे ग्राम पंचायत मदारिया आबादी विस्तार हेतु दर्ज थी जिसको सेटलमेन्ट पश्चात वर्तमान नवीन जमाबन्दी में बिलानाम अंकित कर दिया हैं जो त्रुटीपूर्ण दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु उपयोग उपभोग में ली जा रही हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त वर्णित भूमि बिलानाम दर्ज कर ली हैं जबकि प्रार्थी पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त राजस्व रेकार्ड व नक्शे में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को सेटलमेन्ट की त्रुटी से बिलानाम दर्ज किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रिकॅार्ड में शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मय पटवारी हल्का मदारिया की रिपोर्ट की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

अम्बालाल बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 137/2023 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–10/01/2025

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब व पटवारी हल्का मदारिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार एवं पटवारी हल्का मदारिया की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
देवगढ़, जिला राजसमन्द
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)